न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 72/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. भंवरलाल पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल पूर्व वार्ड पंच ग्राम कारोलिया ग्राम पंचायत विरोल तहसील जैतारण जिला पाली		1. दुर्गाराम पुत्र बींजाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कारोलिया ग्राम पंचायत विरोल तहसील जैतारण जिला पाली
2. कानाराम पुत्र सुराराम जाति सिरवी वार्ड पंच ग्राम कारोलिया ग्राम पंचायत विरोल तहसील जैतारण जिला पाली		2. ग्राम पंचायत विरोल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत विरोल तहसील जैतारण जिला पाली
3. नंदकिशोर पुत्र रेवाशंकर जाति श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी ग्राम कारोलिया तहसील जैतारण जिला पाली		
4. तेजाराम पुत्र विरमराम जाति कुमावत निवासी लाहोरी बेरा ग्राम कारोलिया तहसील जैतारण जिला पाली		

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित ::
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश व्यास

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 11.07.2019

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत बिरोल के मिसल संख्या 61 प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 05.11.2007 की पालना में जारी पट्टा संख्या 10 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत बिरोल का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय हेतु बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी दुर्गाराम ने ग्राम कारोलिया में ग्राम पंचायत बिरोल से मिलावट करते हुए फर्जी पट्टा अपने नाम जारी करवा दिया, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को उसके द्वारा आम रास्ते की भुमि पर अतिक्रमण कर दीवार बनवा देने पर हुई। उक्त अतिक्रमण की शिकायत उन्होनें उपखण्ड अधिकारी से की तो उन्होंने तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की, जिसमें उक्त निर्माण को आम रास्ते पर अतिक्रमण के रूप में माना। उक्त प्रक्रिया के दौरान अप्रार्थी दुर्गाराम ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक दिवानी वाद पेश किया, जिसमें उसने जैर निगरानी पट्टे की प्रति पेश की, तब प्रार्थीगण ने जैर निगरानी पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत से चाहा तो, ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने बाबत अवगत कराया। वास्तव में जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी ही नहीं किया गया। जैर निगरानी पट्टा मात्र एक फर्जी दस्तावेज है, जिसे निरस्त फरमाया जावें। उक्त पट्टा, प्रस्ताव दिनांक 05.11.2007 की पालना में ग्राम सेवक मोहम्मद इरफान के द्वारा जारी किया जाना बताया है, जबकि वर्ष 2007 में ग्राम सेवक के पद पर मो. इरफान पदस्थापित ही नहीं थे तथा न ही जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पालना नहीं की गई है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा जिस पट्टे एवं प्रस्ताव को निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है, उसके संबंध में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत बिरोल ने अपने पत्रांक 92 दिनांक 23.01.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि जैर निगरानी पट्टा व उससे संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत बिरोल में उपलब्ध नहीं है। बिना मूल रेकर्ड के अवलोकन किए, जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विधीवत प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं, तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित नियमों की पालना की गई या नहीं, इसकी भी समीक्षा नहीं की जा सकती नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण की शिकायत पर तहसीलदार जैतारण द्वारा उपखण्ड अधिकारी जैतारण को प्रेषित रिपोर्ट की प्रति से भी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी दुर्गाराम द्वारा आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना विधी सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिरोल के मिसल संख्या 61 प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 05.11.2007 की पालना में जारी

जिला कलेक्टर, पाली

पट्टा संख्या 10 को निरस्त किया जाता है, साथ ही विकास अधिकारी, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वे जैर निगरानी पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने के संबंध में जांच कर दोषी कार्मिक/व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु एफ.आई.आर. एक माह के भीतर दर्ज करवाई जाकर पालना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, जैतारण एवं ग्राम पंचायत बिरोल को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द्र जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली
11/7